संख्या-96/2020/1687/26-3-2020-4(97)/93

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई 2020

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता के अन्तर्गत विज्ञापन इत्यादि हेतु धनराशि के व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-99/स0क0/विकास/अत्याचार उ0/2020-21, दिनांक-30.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 एवं यथा-संशोधित-2015 नियम-1995 यथा-संशोधित-2016 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता अभियान के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-90/2020/1214/26-3-2020-4(97)/93, दिनांक-24.06.2020 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-40.00 लाख में से रू0-16.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को जागरूक करने एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से उक्त अधिनियम एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इत्यादि हेतु शासनादेश संख्या-90/2020/1214/26-3-2020-4(97)/93, दिनांक-24.06.2020 द्वारा लेखाशीर्षक-2225-01-789-01-0111-19-विज्ञापन ब्रिकी और विख्यापन व्यय के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-40.00 लाख में से धनराशि **रू0-16.00 लाख (रू0-सोलह लाख मात्र)** व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-96/2020/1687 (1)/26-3-2020-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच, उ0प्र0, छठा तल, टावर-तृतीय (सिग्नेचर बिल्डिंग), पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमती नगर, विस्तार, लखनऊ।

4-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

5-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।